

(7066)
16/11/19

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-1/गो.प्र.0) विभाग

प. 13(51) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2015

जयपुर, दिनांक: 28 DEC 2018

समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष
(जिला कलेक्टरों सहित)

JDM/HBJ
15/11

विषय:- जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में
जिला कलेक्टर की भूमिका।

इस विभाग के परिपत्र प.13(51)का./क-1/गो.प्र./2000 दिनांक 07.06.2000,
09.04.2015 एवं 08.05.2017 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न विभागों के
जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र सम्बन्धित प्रतिवेदक
अधिकारी द्वारा लिखा जाकर जिला कलेक्टर को अपनी टिप्पणी अंकित करने हेतु प्रस्तुत
किया जाये, तत्पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा समीक्षक अधिकारी को भिजवाया जायेगा।

प्रायः यह देखने में आया है कि कार्मिक विभाग में प्राप्त होने वाले विभिन्न विभागों
के जिला स्तरीय अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में जिला कलेक्टर की
टिप्पणी न करवाकर संगामीय आयुक्त की टिप्पणी करवाकर वार्षिक कार्य मूल्यांकन
प्रतिवेदनों को कार्मिक विभाग में भिजवाए जा रहे हैं।

लेकिन उक्त अधिकारियों के इस विभाग में प्राप्त वार्षिक कार्य मूल्यांकन
प्रतिवेदनों की जांच के पश्चात् यह भी देखने में आया है कि अधिकारी अपना प्रतिवेदन
उचित फार्म में भर कर प्रस्तुत नहीं करते हैं। इस प्रक्रिया की अनुपालना नहीं हो रही है।

अतः समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/
विभागाध्यक्षों से निवेदन है कि कृपया वे अपने विभाग से सम्बन्धित जिला स्तरीय
अधिकारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रपत्र में सम्बन्धित जिला कलेक्टर की
टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित करवाना सुनिश्चित करें। भविष्य में बिना जिला कलेक्टर
की टिप्पणी के अंकन के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्मिक (क-1/गो.प्र.) विभाग
द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

भवेदीय
Ashish
(आशीष मोदी)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

उद्यान निदेशालय, कृषि भवन, राज0 जयपुर

कमांक: प.1(12)नि0उ0/संस्था/गोप/2018-19/6509

दिनांक 16-1-19

समस्त संयुक्त निदेशक उद्यान/उप निदेशक उद्यान/खण्ड.....

उप निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक उद्यान जिला.....

कार्मिक विभाग से प्राप्त पत्र की पालना सुनिश्चित करावें।

संयुक्त निदेशक उद्यान (मु0)